रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223105
CG-DL-E-17112020-223105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 588] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 719(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मनोरोग अस्पताल रांची (वर्ग III और वर्ग IV पद पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उसका संबंध उसकी अनुसूची के क्रम संख्या 24 पर स्टाफ नर्स के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके कारणों को लेखबद्ध कर, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर्या अधिकारी	156* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष से अधिक नहीं । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख़ संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या में बी.एससी. (हॉनर्स); या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी. परिचर्या का नियमित पाठ्यक्रम; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पश्च बुनियादी बी.एससी परिचर्या; (ii) राज्य परिचर्या परिषद में नर्स या नर्स और प्रसाविका के रूप में रजस्ट्रीकृत । या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से सामान्य परिचर्या प्रसूति विद्या में डिप्लोमा;	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी: (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और

(ii) राज्य परिचर्या परिषद में नर्स या नर्स और प्रसाविका के रूप में रजस्ट्रीकृत; और (iii) शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: (i) निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; (ii) उप या सहायक परिचर्या अधीक्षक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य, (iii) चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य, (iv) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए.12018/58/2017-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 719(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hospital for Mental Disease Ranchi (Recruitment to class III and Class IV posts), Rules, 1959 in so far as it relates to the post of Staff Nurse at serial number 24 of the Schedule thereof except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Nursing Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

4. **Disqualification.–** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nursing Officer.	156* (2020) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', (Non-Gazetted), Non-ministerial.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 – 142400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(A) (i) B.Sc (Hons) in Nursing from a recognised University or institute; **or** Regular Course in B.Sc. Nursing from a recognised University or institute; **or** Post Basic B.Sc. Nursing from recognised University or institute; (ii) Registered as a nurse or nurse and mid - wife with State Nursing Council. **or** (B) (i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii) Registered as a nurse or nurse and mid-wife with State Nursing Council; and (iii) One year experience in minimum fifty bedded Hospital after acquiring the educational qualification. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

						Note 2: The qualifications regarding experience are relax able at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[F. No. A.12018/58/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA